122

संख्याः / XV-1/18/ 1(15)/16

प्रेषक,

**आर० मीनाक्षी सुन्दरम,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पशुपालन अनुभाग–1**

देहरादून : दिनांक 14 फरवरी, 2018

**विषयः उत्तराखण्ड राज्य में महिला बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1040/XV-1/17/1(15)/16 दिनांक 09 अगस्त, 2017 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में महिला बकरी पालन राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 30.00 लाख में से प्रथम चरण में 42 बकरी पालन इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ 14.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। विषयगत प्रकरण से संबंधित आपके पत्र संख्या–4251/नि0–5/एक (44)/महिला बकरी/2017–18 दिनांक 11 नवम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या–5391 दिनांक 25 जनवरी,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में योजनान्तर्गत अवशेष बजट प्राविधान ₹ 15.30 लाख के सापेक्ष द्वितीय चरण में 100 प्रतिशत अनुदान पर महिला बकरी पालन हेतु 43 इकाईयों की स्थापना हेतु **₹ 15.05 लाख (पन्द्रह लाख पांच हजार मात्र)** की धनराशि की अग्रिम आहरण की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. राज्य में महिला बकरी पालन योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–904/XV-1/16/1(15)/16 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित प्रावधान/दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानकों के साथ–साथ प्रचार–प्रसार, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं बिना भेदभाव के किया जाए, यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
3. धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
7. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जाय।

10. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

11. उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

12. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XI-219/2006 दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–14–महिला बकरी पालन योजना–42–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)**
सचिव

122

**संख्याः (1) /XV-1/2018 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,।
5. निदेशक,समाज कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
9. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(वी०एस०पुन्डीर)**
उप सचिव